मूल हिंदी में

भारत सरकार
पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 22
25.11.2024 को उत्तर के लिए

वन क्षेत्रों में अतिक्रमण

22. श्रीमती मंजू शर्मा :

क्या **पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री यह** बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने देश में पर्यावरण संरक्षण के मद्देनजर वन क्षेत्र की पहचान कर भूमि का सीमांकन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या सरकार को देश में कई स्थानों पर वन क्षेत्र में किए जा रहे अतिक्रमण के बारे में जानकारी है; और
(ग) यदि हां, तो ऐसे अतिक्रमण को रोकने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन राज्य मंत्री
(श्री कीर्तवर्धन सिंह)

(क) "भूमि" राज्य का विषय होने के कारण, वन भूमि सहित विभिन्न प्रकार की भूमि की पहचान, सर्वेक्षण और सीमांकन का कार्य संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा किया जाता है।

(ख) और (ग) वन क्षेत्रों में अतिक्रमण संबंधी ब्यौरा संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा रखा जाता है और इस संबंध में रिपोर्ट मंत्रालय को प्रस्तुत की जाती है।

वनों के संरक्षण और प्रबंधन की जिम्मेदारी मुख्य रूप से संबंधित राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन की है। अतिक्रमण को रोकने के लिए भारतीय वन अधिनियम, 1927, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 और स्थानीय वन अधिनियमों/नियमों में समुचित कानूनी प्रावधान किए गए हैं। इसके अलावा, अतिक्रमण को रोकने के लिए राज्य वन विभागों द्वारा विभिन्न उपाय किए जाते हैं, जिनमें वन क्षेत्रों का सर्वेक्षण और सीमांकन, वन की सीमा पर खंभे लगाना तथा फील्ड स्टॉफ द्वारा नियमित रूप से गश्त लगाना शामिल है। गांवों के स्तरों पर संयुक्त वन प्रबंधन समितियों का भी गठन किया गया है, जिनमें वनों की सुरक्षा, संरक्षण और प्रबंधन के लिए स्थानीय समुदायों को शामिल किया गया है।

*****